तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

06.11.2023 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी संख्या 1. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री गुलजारी लाल गुप्ता, एफ.बी.ओ. मैसर्स शिव ट्रेडर्स; बस स्टैण्ड बबाई, तह. खेतड़ी जिला नीम का थाना व अप्रार्थी संख्या 2. श्री रतन लाल पुत्र श्री किरोडीमल अग्रवाल(प्रोपराइटर) , मैसर्स रतनलाल संजय कुमार मैन मार्केट सिंघाना जिला झुंझुनूं, अप्रार्थी संख्या 3. अमित गुप्ता पुत्र श्री मोहनलाल गुप्ता (प्रोपराइटर) मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच–1–37/37ए, सरना डुंगर इन्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाड़ा विस्तार, जयपुर। अप्रार्थी 1 ता 3 कि ओर से एडवोकेट श्री दिनेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली पेश किया गया व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.10.2022 को समय 01:30 पी.एम. पर बबाई, खेतड़ी में निरीक्षण के लिए पहूँचे। निरीक्षण के दौरान मैसर्स शिवम ट्रेडर्स बस स्टैण्ड बबाई, तह. खेतड़ी, जिला नीम का थाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम श्री अशोक कुमार पुत्र श्री गुलजारी लाल गुप्ता व स्वयं को दुकान का विक्रेता होना बताया। विक्रेता से वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ लाईसेंस दिखाने के लिए कहा, तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया है।

मैसर्स शिवम ट्रेडर्स बस स्टैण्ड बबाई, तह. खेतड़ी, जिला नीम का थाना पर मूलपैक रिफाइन्ड पाम आयल (श्री गोपाल) के डिब्बे आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे में मिलावट की शंका होने पर, मैसर्स पर एक रैक में 20 मूलपैक 450 एमएल पैकिंग में पैक रिफाइन्ड पाम आयल (श्री गोपाल) के डिब्बे के स्टोक में से वास्ते नमूना जाँच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 4 मूलपैक रिफाइन्ड पाम आयल (श्री गोपाल) के डिब्बो का क्रय किया जिसकी कीमत विक्रेता को 280 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Misbranded Food)** पाया गया। वकील अप्रार्थी ने कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी व वकील अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा नम्बर जी–1861 खाद्य पदार्थ मूलपैक रिफाइन्ड पाम आयल (श्री गोपाल) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Misbranded Food)** पाया [illegible] **मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Misbranded Food)** [illegible] आयल (श्री गोपाल) का विक्रय करके खाद्य [illegible] 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की [illegible] उल्लघंन पाया गया। [illegible] कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिल[illegible] करने जैसा है साथ [illegible] अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:08:50 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी को 11,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 06.11.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। (अनिल कुमार) अति. जिला कलक्टर, नीमकाथाना सीकर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:08:50 IST
Reason: SelfAttested